

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 40/18-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गोविन्द बुरा यादव का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक श्री गोविन्द यादव का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा कुकुआ थाना नं0 642 गैरमजरूआ खाता नं0 84/53 दाग नं0 32 रकवा 4-14-12 किस्म उरली करीम श्री गोविन्द यादव पिता देवी प्र सा विवेकाल साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री गोविन्द यादव को दिनांक 22/5/11 समय पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

अंचल अधिकारी,  
महागामा।

2 अभिलेख संख्या 30/18/17, जोरिडा, जामिला प्राय। श्री गोविन्द बर्मा द्वारा नोटिस जारी प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि गोविन्द प्रसाद पिता देवी प्र विवेकाल यादव

31/7/18  
28/7/18  
sandha

आज्ञित लेख (अलवाप्ति)।

युतः नोटिस निर्गत करें

अंचल अधिकारी,  
महागामा।

10/11/20

अभिलेख व्यवस्थापित।

राजस्व अभिलेख सुनिश्चित, सुर-प्रमा. नि.  
 अंशदा निरीक्षण महागमा के प्रवर्तक  
 अभि का नैतिक प्रतिवेदन के साथ  
 अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसका  
 अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार संवेदन  
 लक्ष्य प्राप्त हुआ है। एतदनुसार  
 पदाधिकारी को प्राप्त है। एतदनुसार  
 मैं उक्त अभिलेख क्षेत्र के अधिकारण  
 क्षेत्र के अंगीत है।

अब उपरोक्त के आलोक में  
 अभिलेख को कार्रवाई समाप्त की जाती है।

व्यवस्थापित।  
 10/11/20  
 अंशदा  
 महागमा

10/11/20  
 अंशदा  
 महागमा

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,  
महागामा।

विषय :- अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या 44/2016-17 श्री विन्द प्रसाद  
पिता-देवी प्रसाद रिक्केवाल, का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या 44/2016-17 श्री विन्द प्रसाद पिता-देवी प्रसाद रिक्केवाल, का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना नं0-692 के गैरमजरुआ खाता सं0-24/5.5 के अंदर दाग नं0-32 का अंश रकवा 04.14.12 धूर किस्म- परती-कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल पदाधिकरी, गोड्डा के केश नं0- के माध्यम से श्री विन्द प्रसाद पिता-देवी प्रसाद रिक्केवाल को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

9/10/16  
24  
4